100 YEARS OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

The International Labour Organization (ILO) came into existence in 1919. Over the course of 100 years, the ILO has witnessed significant developments and scaled new heights in their mandate to promote welfare of the workers. The ILO is the only tripartite United Nations Agency that brings together Governments, employers and workers of 187 Member States to set labour standards, develop policies and devise programmes to promote decent work for all women and men and to provide social protection to workers. India is a founder member of the ILO and has a rich legacy of upholding the ILO's objectives and spirit. India's well-established Tripartite mechanisms that are at the heart of the ILO's consultative process (where adequate representation is given to Workers' / Employers' and the Government) have resulted in a robust and dynamic system of deliberative process for labour policy formulation.

The main aims of the ILO are to promote rights at work, encourage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue on work-related issues. The ILO achieves its mandate by way of setting up of international labour standards in the form of Conventions and Recommendations. Conventions are international treaties and instruments, which are legally binding obligations on the countries that have ratified them. Therefore, every ratified convention is embedded in the constitutional principles of a country or backed by a supporting legal or policy framework. Recommendations are non-binding and set out guidelines orienting national policies and actions.

The three organs of the ILO are:

- International Labour Conference: - General Assembly of the ILO – Meets every year in the month of June.
- Governing Body: - Executive Council of the ILO. Meets three times in a year in the months of March, June and November.
- International Labour Office: - A permanent secretariat.

Except for the interruption caused by the Second World War, the International Labour Conference has continued, since its first session in 1919 to meet at least once a year. The Conference, assisted by the Governing Body, adopts biennial programme and budget, adopts International Labour Standards in the form of Conventions and Recommendations and provides a forum for discussing social, economic and labour related issues. India has regularly and actively participated in the Conference through its tripartite delegations. The Conference has so far had 4 Indian Presidents viz. Sir Atul Chatterjee (1927), Shri Jagjivan Ram, Minister for Labour (1950), Dr. Nagendra Singh, President, International Court of Justice (1970) and Shri Ravindra Verma, Minister of Labour and Parliamentary Affairs (1979). There have also been 8 Indian Vice Presidents of the International Labour Conference, 2 from the Government group, 3 from the Employers' group and 3 from the Workers' group. Indians have chaired important Committees of the Conference such as Committee on Application of Standards, Selection Committee and Resolutions Committee.

The Governing Body of the ILO is the executive wing of the Organization. It is also tripartite in character. Since 1922 India has been holding a non-elective seat on the Governing Body as one of the 10 countries of chief industrial importance. Indian employers' and workers' representatives have been elected as Members of the Governing Body from time to time. Four Indians have so far been elected Chairman of the Governing Body. They are: Sir Atul Chatterjee (1932-33), Shri Shamal Dharee Lall, Secretary, Ministry of Labour (1948-49), Shri S. T. Merani, Joint Secretary, Ministry of Labour (1961-62) and Shri B. G. Deshmukh, Secretary, Ministry of Labour (1984-85). The Governing Body of the ILO functions through various Sections and India takes part in the proceedings of all the Sections during the sessions of the Governing Body viz. Institutional Section (INS); Policy Development Section (POL); Legal Issues and International Labour Standards Section (LILS); Programme, Financial and Administrative Section (PFA); High-level Section (HL); and Working Party on the Functioning of the Governing Body and the International Labour Conference (WP/GBC).

The International Labour Office, Geneva, provides the Secretariat for all Conferences and other meetings and is responsible for the day-to-day implementation of decisions taken by the Conference, Governing Body etc. Indians have held positions of importance in the International Labour Office.

Out of the 190 ILO Conventions, of which, 8 Conventions are considered core conventions, India has ratified 47 Conventions and one protocol which include 6 core or fundamental human rights Conventions. The core ILO Conventions ratified by India are: (i) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), (ii) Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), (iii) Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), (iv) Discrimination (Employment & Occupation) Convention, 1958 (No. 111), (v) Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and (vi) Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).

The ILO has rendered 100 years of sustained service to the cause of humanity by seeking universal peace though social justice. All these years, the ILO has made a lasting impact on the world of work and brought about remarkable improvements in the lives of working women and men. The ILO has completed 100 years of its existence that also marks India's association with the ILO for 100 years.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp the International Labour Organization to mark 100 years of its foundation.

Credits:

Stamp/ FDC/ Brochure	:	Shri Sankha Samanta
Cancellation Cachet	:	Smt. Alka Sharma
Text	:	Based on information received from the proponent

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष
100 YEARS OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

विवरणिका BROCHURE

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की स्थापना 1919 में हुई थी। 100 वर्षों के इस सफर में, आईएलओ ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे हैं तथा कामगारों के कल्याणार्थ अपने दायित्वों के निर्वहन में नई ऊँचाईयां प्राप्त की हैं। आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जो 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और कामगारों को एक मंच पर लाती है। यह सभी महिलाओं और पुरूषों के लिए सम्माननीय कार्य का संवर्धन करने तथा कामगारों को सामाजिक संरक्षा प्रदान करने हेतु श्रम मानक निर्धारित करती है, नीतियां प्रचारित करती है और कार्यक्रम बनाती है। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और इसकी आईएलओ के उद्देश्यों और भावना को बनाए रखने की समृद्ध विरासत है। भारत के सुस्थापित त्रिपक्षीय तंत्र, जो आईएलओ की परामर्श प्रक्रिया (जहां कामगारों व नियोक्ताओं के समूहों व सरकार को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है) का केंद्र बिन्दु है, के परिणामस्वरूप श्रम नीति निर्धारण हेतु विमर्शी प्रक्रिया की मजबूत और गतिशील प्रणाली अस्तित्व में आई है।

आईएलओ के मुख्य उद्देश्य कार्य के अधिकारों को प्रोत्साहित करना, सम्माननीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, सामाजिक संरक्षा बढ़ाना तथा कार्य संबंधित मुद्दों पर संवाद को सुदृढ़ करना है। आईएलओ अपने अधिदेश को समझौतों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक स्थापित करके प्राप्त करता है। समझौते अंतर्राष्ट्रीय संधियां और लेख–पत्र होते हैं, जो उन देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी दायित्व हैं जिन्होंने उनका अनुसमर्थन किया हुआ हो। अतः, प्रत्येक अनुसमर्थित समझौता किसी देश के संवैधानिक सिद्धांतों में समाहित होता है अथवा समर्थनकारी विधिक अथवा नीतिगत तंत्र द्वारा पुष्ट होता है। सिफारिशें गैर–बाध्यकारी होती हैं तथा वे राष्ट्रीय नीतियों और कार्यों के अनुरूप दिशा–निर्देश निर्धारित करती हैं।

आईएलओ की तीन संस्थाएं हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनः– आईएलओ की महासभा – प्रत्येक वर्ष जून माह में बैठक करती है।
- शासी निकायः– आईएलओ की कार्यकारी परिषद – वर्ष में तीन बार मार्च, जून और नवम्बर माह में बैठक करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालयः– एक स्थायी सचिवालय।

दूसरे विश्वयुद्ध के कारण आई अड़चनों को छोड़कर, 1919 में इसके प्रथम सत्र से अब तक वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। शासी निकाय की सहायता से इस सम्मेलन में द्विवार्षिक कार्यक्रम और बजट, समझौतों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अंगीकार किया जाता है और सामाजिक, आर्थिक और श्रम संबंधी मामलों की चर्चा की जाती है। भारत ने अपने त्रिपक्षीय प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से सम्मेलन में नियमित और सक्रिय भागीदारी की है। अब तक सम्मेलन की अध्यक्षता चार भारतीयों ने की है : सर अतुल चटर्जी (1927), श्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री (1950), डॉ. नागेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (1970) और श्री रविन्द्र वर्मा, श्रम एवं संसदीय कार्य मंत्री (1979)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 8 भारतीय उपाध्यक्ष, 2 सरकार से, 3 नियोक्ताओं से और 3 कामगारों के समूह से रहे हैं। भारतीयों ने मानकों के प्रयोग संबंधी समिति, चयन समिति और संकल्प समिति जैसी सम्मेलन की महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता की है।

आईएलओ का शासी निकाय संगठन का कार्यकारी विंग है। इसका स्वरूप भी त्रिपक्षीय है। औद्योगिक महत्ता के 10 प्रमुख देशों में से एक देश के तौर पर 1922 से भारत शासी निकाय में गैर–चयनित स्थान ग्रहण किए हुए है। भारतीय नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधि समय–समय पर शासी निकाय के सदस्य चुने गए हैं। अब तक चार भारतीय शासी निकाय के सदस्य चुने गए हैं। वे हैं, सर अतुल चटर्जी (1932–33), श्री शामल धारी लाल, सचिव, श्रम मंत्रालय (1948–49), श्री एस टी मेरानी, संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय (1961–62) और श्री बी.जी. देशमुख, सचिव, श्रम मंत्रालय (1984–85)। आईएलओ का शासी निकाय सत्रों के दौरान विभिन्न अनुभागों के माध्यम से कार्य करता है और भारत शासी निकाय के सभी अनुभागों जैसे कि संस्थागत अनुभाग (आई.एन.एस.); नीति निर्माण अनुभाग (पीओएल), विधिक मामले और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक अनुभाग (एलआईएलएस); कार्यक्रम, वित्त और प्रशासनिक अनुभाग (पीएफए); उच्च स्तरीय अनुभाग (एचएल); और शासी निकाय के कार्य पर कार्यकारी दल और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (डब्ल्यूपी/जीबीसी) की कार्यवाही में भाग लेता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जिनेवा सभी सम्मेलनों और अन्य बैठकों के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है और सम्मेलन, शासी निकाय इत्यादि द्वारा लिए गए निर्णयों के दैनंदिन कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।

190 आईएलओ समझौतों में से 8 समझौतों को मूल समझौते माना जाता है। भारत ने 47 समझौतों और एक संलेख का अनुसमर्थन किया है, जिसमें 6 मूल अथवा मौलिक मानव अधिकार समझौते शामिल हैं। भारत द्वारा अनुसमर्थित मूल आईएलओ समझौते हैं: (i) बंधुआ मजदूरी समझौता, 1930 (संख्या 29), (ii) बंधुआ मजदूरी की समाप्ति समझौता, 1957 (संख्या 105), (iii) समान पारिश्रमिक समझौता, 1951 (संख्या 100), (iv) भेदभाव (रोजगार एवं उपजीविका) समझौता, 1958 (संख्या 111), (v) न्यूनतम आयु समझौता, 1973 (संख्या 138) और (vi) बाल श्रम के निकृष्ट रूप समझौता, 1999 (संख्या 182)

आईएलओ ने सामाजिक न्याय के माध्यम से सार्वभौमिक शांति चाहते हुए मानवता के निमित्त 100 वर्ष अनवरत सेवा की है। इन वर्षों में, आईएलओ ने कार्य–जगत पर अमिट प्रभाव छोड़ा है और कामकाजी महिलाओं एवं पुरूषों के जीवन को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईएलओ ने अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे किए हैं और यह अवसर आईएलओ के साथ भारत की 100 वर्ष की सहबद्धता को भी चिह्नित करता है।

डाक विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करना प्रसन्नता का विषय है।

आभार :

डाक टिकट/प्रथम दिवस आवरण/ विवरणिका/	:	श्री शंख सामंत
विरूपण कैशे	:	श्रीमती अलका शर्मा
पाठ	:	प्रस्तावक से प्राप्त सामग्री पर आधारित

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग Denomination	: :	500 पैसे 500 p
मुद्रित डाक टिकटें Stamps Printed	: :	600000 600000
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	: :	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक Printer	: :	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

मूल्य ₹ 5.00